



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2118]

No. 2118]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 26, 2012/कार्तिक 4, 1934

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2012/KARTIKA 4, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2556(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ठ की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1403(अ), तारीख 4 सितम्बर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) क्रम सं. 1 और 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण और वन मंत्रालय के भारसाधक —अध्यक्ष

2. रिक्त —उपाध्यक्ष;"

(ख) क्रम सं. 14 से 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"14. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य

15. वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य

16. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय —सदस्य

17. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय —सदस्य

18. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग —सदस्य

19. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग —सदस्य
20. सचिव, पंचायती राज्य मंत्रालय —सदस्य
21. निदेशक, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य;"

(ग) क्रम सं. 28 से 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"28 संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय —सदस्य

29. अपर वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना), पर्यावरण और वन मंत्रालय । सचिव" ।

[फा. सं. 15-25/2009-एनटीसीए]

डॉ. राजेश गोपाल, अपर वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) टिप्पण :—राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण गठित करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. 1403(अ), तारीख 4 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित रूप में संशोधित की गई :—

- का.आ. 1889(अ), तारीख 2 नवम्बर, 2006;
- का.आ. 981(अ), तारीख 13 जून, 2007;
- सं. 15-25/09-एनटीसीए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 4 सितम्बर, 2009 में प्रकाशित;
- सं. 15-25/09-एनटीसीए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 17 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित;
- का.आ. 1440(अ), तारीख 23 जून, 2010; और
- का.आ. 2276(अ), तारीख 21 सितम्बर, 2012 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2012

S.O. 2556(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 38L of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1403(E), dated the 4th September, 2006, namely :—

In the said notification,—

(a) for serial numbers 1 and 2 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

"1. The Minister of State (Independent charge) in charge of the Ministry of Environment and Forests —Chairperson

2. Vacant —Vice-Chairperson;"

(b) for serial numbers 14 to 21 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

"14. Secretary, Ministry of Environment and Forests —Member

15. Director General of Forests and Special Secretary Ministry of Environment and Forests —Member

16. Secretary, Ministry of Tribal Affairs —Member

17. Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment —Member

18. Chairperson, National Commission for the Scheduled Tribes —Member

19. Chairperson, National Commission for the Scheduled Castes —Member

20. Secretary, Ministry of Panchayati Raj —Member

21. Director, Wildlife Preservation, Ministry of Environment and Forests —Member;"

(c) for serial numbers 28 to 29 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

"28. Joint Secretary and Legislative Counsel, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member

29. Additional Director General of Forests (Project Tiger), Ministry of Environment and Forests —Member Secretary".

[F. No. 15-25/2009-NTCA]

Dr. RAJESH GOPAL, Addl. Director General of Forests (Project Tiger)

Note :—The principal notification constituting the National Tiger Conservation Authority was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 1403 (E), dated the 4th September, 2006 and subsequently amended as follows :—

1. S.O. 1889(E), dated the 2nd November, 2006;
2. S.O. 981(E), dated the 13th June, 2007;
3. No. 15-25/09 NTCA. - published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 4th September, 2009;
4. No. 15-25/09-NTCA. - published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 17th September, 2010; and
5. S.O. 1440(E), dated the 23rd June, 2011.
6. S.O. 2276(E), dated the 21st September, 2012.